उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या- 32/2024/697/एक-1-2024-1-1099/81/2024

लखनऊः दिनांक 24 सितम्बर, 2024

अधिसूचना

जिलाधिकारी, बागपत के पत्र संख्या-508/सात-डी0एल0आर0सी0/धारा-90/2024-25 दिनांक-01.05.2024 एवं पत्र संख्या-667/सात-डी0एल0आर0सी0/2024-25 दिनांक-12.08.2024 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के क्रम में आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद के पत्र संख्या-जी 291/5-115/2024 दिनांक- 22.05.2024 तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा दी गयी संस्तुति के दृष्टिगत उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (यथासंशोधित) की धारा-90 एवं उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 (यथासंशोधित) के नियम-95 में प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल Bimbo Bakeries India Private Limited (Formerly Ready Roti India Private Limited) को ग्राम डौला, परगना बागपत, तहसील व जनपद बागपत में बेकरी प्लान्ट स्थापित किये जाने हेतु मै0 सांई सम्राट प्रा०लि० से भूमि क्रय किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) उपरोक्त संस्था द्वारा विदेशी पूंजी निवेश से संबंधित भारत सरकार के तथा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के नियमों तथा एफ०डी०आई० व एफ0 आई0 पी0 बी0 के मानकों का अनुपालन प्रशासनिक विभाग- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) संस्था के क्रेडेंशियल से सम्बन्धित उत्तरदायित्व प्रशासनिक विभाग- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग का होगा।

(3) संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (यथा संशोधित) की धारा 89(3) व (4) में वर्णित प्राविधानों के अनुसार विहित सीमा से अधिक भूमि क्रय की अनुमति कलेक्टर से नियमानुसार प्राप्त की जाएगी।

(4) क्रय की गयी भूमि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा। निर्धारित प्रयोजन से भिन्न उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा।

(5) संस्था को क्रय की गयी भूमि के किसी भी प्रकार के अन्तरण का अधिकार नहीं होगा।

(6) संस्था द्वारा क्रय की गयी भूमि के मध्य में स्थित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों के विनिमय का प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी को अलग से उपलब्ध कराया जाएगा।

(7) उपरोक्त किसी भी शर्त एवं प्रतिबन्ध का उल्लंघन होने पर संस्था द्वारा क्रय की गयी सम्पूर्ण भूमि राज्य सरकार में निहित हो जाएगी तथा इस हेतु किसी भी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(8) उपरोक्त सभी शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सम्बन्धित जिलाधिकारी व प्रशासनिक विभाग द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

आज्ञा से,

पी0 गुरुप्रसाद

प्रमुख सचिव।

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।

(2) प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

(3) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।

(4) आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।

(5) जिलाधिकारी, बागपत।

(6) Mr. Naresh Kumar, Exicutive Director-Legal, Bimbo Bakeries India Private Limited (Formerly Ready Roti India Private Limited), Office-F-28, RIICO Industrial Area, Sare Khurd, Tehsil Tijara, Dist-Alwar, Rajasthan-301707

(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आर0पी0 सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।